न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 02/2025
जीसीएमएस संख्याः 2025/29

निर्णय दिनांक 15-07-2025

1. रामूराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी चक 335–500 आरडी मुरब्बा नम्बर 106/36 गांव पीपेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. प्रहलाद पुत्र स्व. शीशपाल जाति कुम्हार निवासी ढाललेखू तहसील राजगढ जिला चुरू।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. नौरंगराम पुत्र श्री तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी गांव पीपेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणकरणसर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 22–10–2024

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश आचार्य, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर के आदेश दिनांक 22–10–2024 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि चक 235–500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 106/36 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25/2 तथा मुरब्बा नम्बर 106/44 के किला नम्बर 14 में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन करने में असक्षम है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये उक्त नोटिस अपीलांट्स को कभी प्राप्त नहीं हुए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना तथा अपीलांट्स को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया है मगर उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो अपीलांट्स के हितों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसील कार्यालय से जो रिपोर्ट प्राप्त की गई है उक्त रिपोर्ट अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत तैयार की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो नवीन रास्ते हेतु है मगर उसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से आवागमन करते है मगर वो उक्त कदीमी रास्ते को बंद कर देते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत केवल मात्र नवीन रास्ते की मांग की जा सकती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बंद रास्ते को खुलवाने हेतु धारा 251 आरटीए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तथा अपीलांट्स को सुने बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

आगे अभिभाषक अपीलांट्स ने मियादं पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जिसमें अपीलांट्स पक्षकार होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियादं अधिनियम बाधक नही है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23–12–2024 को हुई थी एवं प्रथम जानकारी से बिना विलम्ब किये अपीलांट्स द्वारा अपील अंदर मियांद प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियादं अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मियांद कण्डोन की जाकर अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर मियादं बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है वो मनगढत एवं संतोषजनक कारण नहीं है। एकतरफ अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स को डीडी प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई वहीं दूसरी तरफ अपीलांट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट्स को आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुए है। अतः अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया है। ऐसे में अपीलांट्स की अपील मियादं बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जोव।

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

उन्होने आगे अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसीलदार कार्यालय से मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं निकटतम रास्ता ही स्वीकृत किया गया है।

आगे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु किसी प्रकार के कोई कटानी/कदीमी रास्ता उपलब्ध नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए की मंशा अनुसार एवं प्रावधानों के मध्यनजर ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया है अब अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियादं अधिनियम बाधक नहीं होता है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो

राजस्व अपील अधिक
बीकानेर

संतोषजनक नही होने के कारण अपीलांट्स की अपील मियादं के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—10—2024 को पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील दिनांक 03—01—2025 को प्रस्तुत की गई है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो तथा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया हो वहां पर पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक अपीलांट्स का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में सम्यक तामील का प्रश्न अपील के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है। वर्तमान में जबकि न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित है। प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि धारा 251 ए आरटीए के प्रार्थना पत्र का विनिश्चय करते समय अत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं पर विचारण किया जात है। साथ ही यह देखा जाना है कि मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है अथवा नहीं?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो, मौका रिपोर्ट से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत रास्ता ही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निकटतम रास्ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत नवीन रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुरूप किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का आदेश दिनांक 22–10–2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 15-07-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर